न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 91 सन 2024
अनवान :–

1. सरजीत सिह पुत्र मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
2. लिछमण पुत्र मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
3. जगजीतसिह पुत्र मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :–26/9/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126हैक्ट मिन पश्चिम 19/0.253 ,13/0.127 ,मिन पश्चिम 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,3/0.253 ,8/0.253हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका वादी संख्या 1 काश्तकार है तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,20/0.2530हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 2 ,3 बहिब के काश्तकार है।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील भादरा के प0न0 411/(58) के किला न0 21 ,2 ,9 ,12 ,19 ,22, 3 ,8 प्रत्येक 0.2530हैक्ट व 13, 18 ,23 प्रत्येक 0.1265हैक्ट भूमि यानी 9.10 बीधा भूमि वादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 09.07.1979 से खरीदशुद्वा है जो वादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तथा प0न0 411/468(56) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 प्रत्येक 0.2530हैक्ट भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 09.07.1979 से वादीगण संख्या 2 ,3 ने खरीद की थी जो उनके नाम दर्ज थी।

वादीगण संख्या 1 ता 3 ने वाद भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी जो नियमानुसार बेयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया था किन्तु आगामी जमाबन्दीया तेयार करते समय पूर्व खसरों से नये खसरे /प0न0 बनाते समय वादीगण के द्वारा खरीद की गई भूमि को जमाबन्दी में शामिल नही किया गया अर्थात मिसिग रकबा की श्रेणी में रख दिया गया था।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ द्वारा बाद जांच मिसिग रकबा जो तहसील नोहर , भादरा के जमाबन्दीयों में दर्ज नही किया गया था के सम्बध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के जांच क[illegible] मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल करने के आदेश जारी किये [illegible] रकबा को तहसील नोहर में जोडा गया था उक्त रकबा पूर्व में [illegible] शामिल किया गया [illegible] हा से कम किया जाकर तहसील नोहर में जोडा गया था त[illegible] उक्त रकबा तहसील [illegible] में शामिल किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किन्तु वादीगण के द्वारा खरीदशुद्वा एवं कब्जा काश्त की भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करने के स्थान पर अराजीराज दर्ज कर दिया।

वाद भूमि के वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि थी जो उनके नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की जानी चाहिये थी जबकि उक्त भूमि को सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज कर दिया जिससे खरीददार के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के आदेश अनुसार तहसील भादरा से रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530 ,तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि तहसील नोहर में शामिल की गई थी जो वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि थी जिसे वादीगण के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतोर खातेदार दर्ज करनी चाहिये थी किन्तु अराजीराज दर्ज कर दी जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है जिसे वादीगण बैयनामा अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के पूर्वजों की खरीदशुद्वा भूमि को वादीगण के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530हैक भूमि के वादी संख्या 1 ,तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि के वादीगण संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादीगण के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की गई साक्ष्यवादी में वादी ने शपथ पत्र पेश किया शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126हैक मिन पश्चिम 19/0.253 ,13/0.127 ,मिन पश्चिम 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,3/0.253 ,8/0.253हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका वादी संख्या 1 काश्तकार है तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,20/0.2530हैक भूमि वादीगण संख्या 2 ,3 बहिब के काश्तकार है।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील भादरा के प0न0 411/(58) के किला न0 21 ,2 ,9 ,12 ,19 ,22, 3 ,8 प्रत्येक 0.2530हैक व 13, 18 ,23 प्रत्येक 0.1265हैक भूमि यानी 9.10 बीधा भूमि वादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 09.07.1979 से खरीदशुद्वा है जो वादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तथा प0न0 411/468(56) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 प्रत्येक 0.2530हैक भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 09.07.1979 से वादीगण संख्या 2 ,3 ने खरीद की थी जो उनके नाम दर्ज थी।

Signature Not Verified

वादीगण संख्या 1 ता 3 ने वाद [illegible] जरिये बैयनामा खरीद की थी जो नियमानुसार बेयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] दिया गया था किन्तु आगामी जमाबन्दीया तेयार करते समय पूर्व खसरों से नये खसरे/प0न0 बनाते समय वादीगण के द्वारा खरीद

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की गई भूमि को जमाबन्दी में शामिल नही किया गया अर्थात मिसिग रकबा की श्रेणी में रख दिया गया था।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ द्वारा बाद जांच मिसिग रकबा जो तहसील नोहर , भादरा के जमाबन्दीयों में दर्ज नही किया गया था के सम्बध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के जांच कर उक्त मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल करने के आदेश जारी किये गये तथा आदेशानुसार मिसिग रकबा को तहसील नोहर में जोडा गया था उक्त रकबा पूर्व में तहसील भादरा में शामिल किया गया था वहा से कम किया जाकर तहसील नोहर में जोडा गया था तथा उक्त रकबा तहसील नोहर में शामिल किया किन्तु वादीगण के द्वारा खरीदशुद्वा एवं कब्जा काश्त की भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करने के स्थान पर अराजीराज दर्ज कर दिया।

वाद भूमि के वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि थी जो उनके नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की जानी चाहिये थी जबकि उक्त भूमि को सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज कर दिया जिससे खरीददार के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के आदेश अनुसार तहसील भादरा से रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530 ,तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/. 2530हैक भूमि तहसील नोहर में शामिल की गई थी जो वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि थी जिसे वादीगण के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतोर खातेदार दर्ज करनी चाहिये थी किन्तु अराजीराज दर्ज कर दी जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है जिसे वादीगण बैयनामा अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0. 2530हैक भूमि वादी संख्या 1 की जरिये बैयनामा दिनांक 09.07.179 से खरीदशुद्वा भूमि है एवं प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि वादी संख्या 2 ,3 के द्वारा जरिये बेयनामा दिनांक 09.07.1979 से खरीदशुद्वा भूमि है जो प्रस्तुत बैयनमाा से पूर्णत्या साबित है। तथा बैयनामा के अनुसार भूमि का नामान्तकरण दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये थे।

आगामी जमाबन्दीया तेयार करते समय मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530 ,तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि को तहसील भादरा की जमाबन्दीयों में दर्ज नही किया गया ना ही तहसील नोहर की जमाबन्दीयों में दर्ज किया गया अर्थात उक्त रकबा जमाबन्दीयों से मिसिग हो गया।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने मिसिग रकबा का संक्षान होने पर विस्तृत जांच तहसीलदार भादरा एव तहसीलदार नोहर एव सम्बधित पटवारीयान से करवाई जाने के उपरान्त आदेश एफ 9(14)(3) [illegible] /मुन्सरी/भू0अ0/06/264–269 दिनांक 21.01.2006 को विस्तृत आदेश पारित किया गया जो प्रभावित 98 बीधा मिसिग रकबा जो उपनिवेशन विभाग के समय से ही मिसिग चल रहा है ग्राम गोगामेडी तहसील नोहर के खसरा न0 22/17 से पैमुद हुआ है जो तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम के प0न0 410/468 ,411/468 ,412/468 व चक 6 जीजीएम के प0न0 406/468 में कुल 98.00

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:08 IST
Reason: SelfAttested

बीधा रकबा तहसील भादरा के राजस्व अभिलेख में दर्ज न होते हुए भी तहसील भादरा द्वारा मिलान खसरा में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ 98 बीधा अलग से जोडकर आकडे पेश किये जाते रहे है जिससे प्रश्नाकित रकबा 98 बीधा मिसिग रकबा कुल भौगोलिक क्षेत्र के साथ दर्शाया गया है अतः 98 बीधा भूमि को दोनो चकों की जमाबन्दीयों एवं नक्शों को उक्त भूमि को शामिल करते हुए संशोधित किया जावे तथा भविष्य में तहसील भादरा के वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र में 98 बीधा अलग से जोडना न दर्शाया जावे तहसीलदार नोहर इस प्रश्नाकित 98 बीध मिसिग रकबा को उक्त दोनो चकों में शामिल करते भौगोलिक क्षेत्र 98 बीधा अधिक दर्ज किया जावे।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने उक्त आदेश के द्वारा मिसिग रकबा जो ना तो तहसील भादरा की जमाबन्दीयों में दर्ज था ना ही तहसील नोहर की जमाबन्दीयों में दर्ज था उक्त मिसिग रकबा को तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम , चक 6 जीजीएम के प0न0 में शामिल करते हुए जमाबन्दीयों में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे।

मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530 ,तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि जो वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि थी को किन्तु आगामी जमाबन्दीयों में खरीदशुद्वा भूमि किसी भी जमाबन्दी में दर्ज नही की गई थी।

मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530 ,तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि मिसिग रकबा की श्रेणी में आने पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल करने के आदेश दिये गये थे में वादीगण के द्वारा खरीदशुद्वा रकबा शामिल है जिसे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के आदेशानुसार तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम की जमाबन्दी में तो शामिल कर लिया गया किन्तु वादीगण के नाम दर्ज करने के स्थान पर अराजीराज दर्ज कर दिया जो न्यायोचित नही है

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ द्वारा मिसिग रकबा को तहसील नोहर के सम्बधित चकों के सम्बधित प0न0 में दर्ज करने के आदेश दिये गये थे यह अंकित नही किया गया था की सम्बधित काश्तकारों के स्थान पर अराजीराज दर्ज किया जावे जबकि जमाबन्दी से मिसिग रकबा को शामिल करने के आदेश दिये गये थे अर्थात जो रकबा जिसके कब्जा काश्त में एवं जमाबन्दी से मिसिग होने से पूर्व जिसके नाम दर्ज था के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530 ,तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि वादीगण के बैयनामा अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रकबा मिसिग होने के कारण वादीगण के जो खरीददार खातेदार काश्तकार थे के नाम दर्ज नही हो सका था वाद भूमि जो वादीगण के के द्वारा खरीद की गई थी वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नही है मिसिग रकबा जो तहसील नोहर में दर्ज किया गया है वादीगण के खरीदशुद्वा है जिसे वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना उचित हैं।

उक्त विवेचन अनुसार रही मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530 ,तथा प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि जो किसी भी तहसील की जमाबन्दीयों में दर्ज नही हुआ अर्थात रकबा मिसिग रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की श्रेणी में आ गया जिसके सम्बध मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में तहसीलदार नोहर ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल कर अराजीराज दर्ज कर दिया जबकि तहसीलदार नोहर को दायित्व था कि जो रकबा तहसील नोहर में शामिल किया जा रहा है पर काबिज व्यक्तियों को सुना जाकर एव साक्ष्य सबुत लिये जाकर रकबा सम्बधित काश्तकार के नाम तहसील नोहर की जमाबन्दी में दर्ज किया जाना चाहिये था वादीगण खरीददार कॉश्तकार थे और मौके पर काबिज चले आ रहे है जिनका रकबा तहसील नोहर में शामिल किया जाकर बेयनामा के अनुसार वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था खरीदशुद्वा भूमि जिसे पर वादीगण काबिज भी हे को अराजीराज दर्ज किया जाना उचित नही है वादीगण अपने हकों की धोषणा करवाकर बेयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतो एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , हनुमानगढ के आदेश /निर्णय की पालना में साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530हैक भूमि का वादी संख्या 1 एवं प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि का वादीगण संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/9/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सरजीत सिह पुत्र मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
2. लिछमण पुत्र मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
3. जगजीतसिह पुत्र मुख्त्यारसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 91 सन 2024 निर्णय दिनांक– 26/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि मौजा चक 5 जीजीएम के प0न0 411/468(162/9) के किला न0 18/0.126 मिन पश्चिम , 19/0.253 ,13/.127मिन पश्चिम , 2/0.253 ,9/0.253 ,12/0.253 ,8/0.2530हैक भूमि का वादी संख्या 1 एवं प0न0 411/468(162/9) के किला न0 1/.2530 ,10/.2530 ,11/.2530 ,20/.2530हैक भूमि का वादीगण संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:40:08 IST
Reason: SelfAttested